C:\Estt. 2015\Gazeeted\latter.doc

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.1(1)(15)स्था/आईसीडीएस/15/94032 जयपुर, दिनांक 5.10.15

परिपत्र

विभाग के अधिनस्थ विभिन्न उप निदेशक/परियोजना कार्यालयों में विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया है कि कुछ उप निदेशक/परियोजना कार्यालयों में एक भी कार्मिक यथा मंत्रालयिक कर्मचारी/महिला पर्यवेक्षक/वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत नहीं रह गया है, जिससे उप निदेशक/परियोजना कार्यालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः उप निदेशक/परियोजना कार्यालयों में कार्य प्रभावित नहीं हों, उक्त स्थिति के दृष्टिगत समस्त उप निदेशकों को राजकार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु जिला कलक्टर से अनुमोदन उपरान्त उसी संवर्ग के कार्मिकों को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उप निदेशक/परियोजना कार्यालयों में लगाने हेतु आदेश जारी करने हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता हैः–

1. उक्त कार्यकारी व्यवस्था केवल रिक्त पदों पर ही की जावेगी। किसी भी स्थिति में कार्यरत कार्मिक को हटाकर अन्य कार्मिक को नहीं लगाया जावे।
2. एक परियोजना से अन्य परियोजना या जिला कार्यालय में लगाने से पूर्व निकटतम परियोजना वाले कार्मिक को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने की सम्भावना पर विचार कर लिया जावे।
3. कार्यकारी व्यवस्था के तहत केवल 3 माह के लिए अस्थायी तौर पर लगाया जावे।
4. उक्तानुसार किये गये आदेश पुष्टि हेतु निदेशालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से भेजे जावे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ.1(1)(15)स्था/आईसीडीएस/15/94033-439 जयपुर, दिनांक 5.10.15
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं राज. जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
6. समस्त उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।
7. समस्त बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी।
8. आदेश पत्रावली

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर